पत्र संख्या-स्था-1-विकलांगजन चिन्हांकन /2019-20 / 3991 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :26 नवम्बर -2019

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश
समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर लखनऊ
समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर

शासन के पत्र स0 क0नि0-3 -1855(1) / 11-2019-93/ 12 दिनांक 19-11-2019 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा -23 के क्रम में मुख्यालय के आदेश सं0 स्था-1- विकलांगजन चिन्हाकन /2019-20 /3949 / वा0क0 दिनांक 25-11-2019 द्वारा विभाग कें कार्यालयो में विकलांगजन से सम्बन्धित शिकायतो के दर्ज करने एंव उनके निस्तारण की सूचना उपलब्ध कराने हेतु शिकायत प्रतितोष अधिकारियो को नामित किया गया है। शासन के पत्र स0 -1851 / 11-3-2019 दिनांक 19-11-2019 के साथ दिव्यागजन सशक्तीकरण अनुभाग -3 के पत्र दिनांक 16-10-2019 एंव 14-11-2019 की प्रति अनुपालन हेतु प्रेषित की गयी है जिसमें शिकायत प्रतितोष अधिकारी के स्तर पर शिकायतो के पंजीकरण एंव उनके निस्तारण हेतु रजिस्टर रखने हेतु प्रारुप निर्धारित किया गया है ।अत: उक्त पत्र एंव प्रारुप की छाया प्रति इस आशय से सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासन के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए वांछित सूचना से आज ही अवगत कराये।

सलंग्नक : उपरोक्तानुसार

ह0/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपि : निम्नलिखित को निर्धारित प्रारुप की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- विशेष सचिव कर एंव निबन्धन अनुभाग -1 उ0प्र0 शासन।
2- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,उ0प्र0लखनऊ।
3- अपर निदेशक प्रशिक्षण संस्थान वाणिज्य कर प्रशिक्षण सस्थान उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड - 1 / ग्रेड-2 वाणिज्य कर।
5- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर गौतमबुद्धनगर नोएडा।
6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर।
7- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / आहरण वितरण अधिकारी / शिंकायत प्रतितोष अधिकारी वाणिज्य कर।
8- कम्प्यूटर आपरेटर स्थापना अनुभाग को E.I.S मे अपलोड हेतु।
9- डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0 अनुभाग) वाणिज्य विभागीय पोर्टल / नोटिस बोर्ड पर अपलोड हेतु।
10- स्था0-1/ 2 पटल,स्थापना राजपत्रित अनुभाग।
11- सहायक संख्याअधिकारी (स्थापना राजपत्रित) वाणिज्यकर को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार सूचना संकलित कर तत्काल शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर

संख्या—1851/11—3—2019

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग—3 **लखनऊःदिनांकः 19 नवम्बर,2019**

विषयः— रिट याचिका संख्या—(सिविल) संख्या—116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउन्डेशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23—09—2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—3 के पत्र दिनांक 16—10—2019 एवं 14—11—2019 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष स्तर पर शिकायत प्रतितोष अधिकारी नामित करने तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांक 19—11—2019 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

एडी० कमि० / प्रशासन

कमिश्नर
22-11-19

3203

ज्वा० कमि० (कार्यपाल)

श्री बाजपेई

J (IB)

1071
25-11-19

एडी० कमिश्नर
25-11-19

26-11-19

25/11/19

1851/11-3-2019
बैठक
दिनांक 20-11-2019, पूर्वान्ह 11.00 बजे
मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध
संख्या- 497/65-3-2019-01/2017टी.सी.

193/06
460

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
(विधान सभा सचिवालय/विधायी/संसदीय कार्य एवं वाह्य सहायतित परियोजना को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ :: दिनांक 15 नवम्बर, 2019

विषयः- रिट याचिका (सिविल) संख्या-116/1998, जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23-9-2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस अनुभाग के पत्र संख्या-403/65-3-2019-01/2017टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019, जिसके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-23 के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में अपने विभाग में शिकायत प्रतितोष अधिकारी को नामित करते हुए उसका नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी0, मोबाइल नम्बर आदि विवरण सहित कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप में एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या-116/98 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23-9-2019 में मामले में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से 08 सप्ताह में मा0 उच्चतम न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- आपके विभाग से निर्धारित प्रारूप में सूचनायें प्राप्त न होने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13-11-2019 को एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मात्र 11 विभागों यथा-ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/सिंचाई एवं जल संसाधन/पंचायती राज/विधान सभा सचिवालय/विधायी/संसदीय कार्य/पशुधन/न्याय /परती भूमि विकास/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभागों के अधिकारियों द्वारा ही प्रतिभाग किया गया। उक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों से कोई अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(अम्बरीश ...)
विशेष सचिव,
...

क्र-3

4— अब तक केवल विधान सभा सचिवालय, संसदीय कार्य, विधायी विभाग तथा वाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा ही निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनायें उपलब्ध करायी गयीं हैं। संलग्न सूची में उल्लिखित विभागों द्वारा उपलब्ध करायीं गयीं सूचनायें अपूर्ण/निर्धारित प्रारूप पर नहीं हैं।

5— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनायें इस विभाग को विलम्बतम् दिनांक 18—11—2019 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बापू भवन द्वितीय तल स्थित सभागार में दिनांक 20—11—2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से पुनः एक बैठक आहूत की गयी है। कृपया अपने विभाग से संबंधित निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित किसी भिज्ञ अधिकारी को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 शासन।
2— निजी सचिव, विशेष सचिव(ए/एस),दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 शासन।
3— आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
4— निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
उप सचिव।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश/तत्काल
संख्या– 403/65–3–2019–01/2017टी0सी0

प्रेषक,

सुरजन सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

विषयः–मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या– 116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउन्डेशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं0–116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउन्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये गये है कि आदेश पारित होने की तिथि अर्थात दिनांक 23.09.2019 से 08 सप्ताह के अन्दर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उक्त प्राविधान का पूर्ण अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या प्रति शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल की जाय।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–23 के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान हैः–

(1) Every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, about the appointment of such officer.

(2) Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate if and shall take up the matter with the establishment for corrective action.

(3) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be inquired within two weeks of its registration.

(4) If the aggrieved person is not satisfied with the action taken of his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee of disability.

3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1431/65–1–2018 –119/2018, दिनांक 24.12.2018, जिसके द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–23(1) के व्यवस्था के क्रम में प्रत्येक विभाग शासन स्तर पर अपने विभाग में तथा अपने अधीन संचालित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों व अन्य संस्थाओं में भी शिकायत प्रतितोष अधिकारी का नामांकन कर उसका नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या, ई–मेल आई0डी0, मोबाईल नं0 आदि का विवरण दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने के साथ–साथ राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उ0प्र0 को भी प्रेषित की जाय।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–23 के उपरोक्त सभी प्राविधानों का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न प्रारूप पर इस विभाग को एक सप्ताह में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समयान्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रति शपथ–पत्र दाखिल कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

16/10/19
16-10-19

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव।

प्रारूप

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) की धारा–23 के अन्तर्गत नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारियों का विवरण तथा उनके स्तर पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति:–

विभाग का नाम–

क0 सं0	शिकायत प्रतितोष अधिकारी	नाम/पदनाम दूरभाष संख्या/ मोबाइल नं0/ ई–मेल आई0डी0	शिकायत प्रतितोष अधिकारी के स्तर पर शिकायतों के पंजीकरण एवं उनके निस्तारण हेतु रजिस्टर बनाया गया है अथवा नहीं।	शिकायत प्रतितोष रजिस्टर में दर्ज शिकायतों की संख्या	02 सप्ताह में निस्तारित मामलों की संख्या	02 सप्ताह से अधिक समय में निस्तारित मामलो की संख्या	कुल निस्तारित मामलों की संख्या	02 सप्ताह से अधिक समय से निस्तारण हेतु लम्बित अवशेष मामलों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शासन स्तर पर नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारी								
2	विभागाध्यक्ष स्तर पर नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारी								
3	कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारी								
4	विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों व अन्य संस्थाओं यदि कोई हों, के स्तर पर नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारी								

16/10/19